फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

मदन बनाम रामी देवी आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 15/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
25.01.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 10 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक 7 आर.एम.जी. तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 82/81 की 29.6010 है0 व रोही मौजा चक 5 आर.एम.जी.तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 73/71 की 22.0110 है0 व रोही मौजा चक 12 जी.जी.एम. तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 13/13 की 7.8430 है0 व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 208/197 की 40.2910 है0 व रोही मौजा चक 12 जी.जी.एम.तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 37/37 की 9.3610 है0 व रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी. तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 46/46 की 7.8430 है0 व रोही मौजा चक 5 आर.एम.जी.तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 23/21 की 4.3010 है0 वादभूमि के रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 26.02.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:35 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
26/2/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी पी.ओ. साहब .. अन्य कार्य में व्यस्त .... पत्रावली दि0...11/3/24.... को पेश हो।	
11/3/24	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी के रजिस्टर्ड सम्मन की रसीद पेश की प्रतिवादी उपस्थित नहीं पत्रावली इन्तजार तामील हेतु 2/4/24 को पेश हो।	
20/3/24	वकील साहब / साहब के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील साहब ने निवेदन किया की हम पक्षकारों का आपसी राजीनामा हो गया इसलिये प्रार्थनापत्र नहीं चलाना चाहता खारिज फरमावें। साहब स्वयं के द्वारा अपना वाद नहीं चलाने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	मक्खन लाल [signature] मक्खनलाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:35 IST
Reason: SelfAttested